

11/12/23

पत्रावली पेश हुई। वकील बाकी
अथवा बाकी की ओर से कोई
उपस्थित नहीं है। बार-बार आवाज
लगवाई गई। बापजूद आवाज के
भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रतीत
है कि वकील अपने वाड के प्रति
उदासीन है तथा वाड को चलाने
का इच्छुक नहीं है। अतः वकील
का वाडपता अदालत के अंतर्गत
हाजिरी में शर्हीन किया जा रहा
है। पत्रावली केसल सुमार होकर
नम्बर से कद हो। बारिबल
दालर हो।

सहायक कलक्टर
मालसोद जिला-बीकानेर

